राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्

वार्षिक प्रतिवेदन

वर्ष 2009-10

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान
बालिका छात्रावास योजना
मॉडल स्कूल योजना

संरक्षक :

अशोक सम्पतराम, आई.ए.एस
प्रमुख शासन सचिव
स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा विभाग
राजस्थान सरकार, जयपुर

सह-संरक्षक :

भास्कर ए सांवत, आई.ए.एस
शासन सचिव
स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा विभाग
राजस्थान सरकार, जयपुर

निर्देशन :

आलोक गुप्ता, आई.ए.एस
आयुक्त एवं राज्य परियोजना निदेशक
राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्, जयपुर

सह-निर्देशन :

सुबे सिंह यादव, आर.ए.एस
अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक
राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्, जयपुर

सम्पादन :

रविन्द्र कुमार लाटा
उप निदेशक (योजना)
राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्, जयपुर

सह-सम्पादन :

डॉ. बालेन्द्र सिंह
सहायक निदेशक (वार्षिक प्रतिवेदन)
राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्, जयपुर

विशेष प्रयास :

संजय कुमार शर्मा
एम.आई.एस. प्रभारी
राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्, जयपुर

वार्षिक प्रतिवेदन 2009–10

अनुक्रमणिका

क्र.सं.	अध्याय	पृष्ठ सं.
1	राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् : एक परिचय	2 – 4
2	माध्यमिक शिक्षा प्रबंध सूचना तंत्र (SEMIS)	5 – 8
3	राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (RMSA)	9 – 11
4	शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े विकास खण्ड (EBB)	12 – 13
5	बालिका छात्रावास योजना	14 – 15
6	मॉडल स्कूल योजना	16 – 17
❖	ऑडिट रिपोर्ट वर्ष 2009–10	18 – 21

अध्याय–1

अध्याय –1

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् : एक परिचय

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का एक मुख्य उद्देश्य माध्यमिक स्तर की शिक्षा में बालिकाओं व समाज के पिछड़े वर्गों की सहभागिता को बढ़ाना है। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु भारत सरकार व विभिन्न राज्य सरकारें प्रयास कर रही हैं किन्तु सर्व शिक्षा अभियान सहित प्रारंभिक शिक्षा के अन्य कार्यक्रमों की सफलता के कारण प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने वाले समाज के कमजोर एवं पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों की बढ़ती हुई संख्या तक माध्यमिक स्तर की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक बालक–बालिकाओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इस बढ़ती हुई विद्यार्थी संख्या को गुणवत्तापूर्ण माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करने के उचित अवसर प्रदान करने हेतु माननीय प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह ने अपने स्वतंत्रता दिवस 2007 के राष्ट्रीय उद्बोधन में माध्यमिक शिक्षा की पहुँच के सार्वजनिकरण योजना SUCCESS (Scheme for Universalization of Access at Secondary Stage) प्रारंभ करने की घोषणा की थी। इस घोषणा को अमलीजामा पहनाते हुए समाज के कमजोर एवं पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों तथा बालिकाओं को गुणवत्तापूर्ण माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करने के समान अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से ही वर्ष 2008 में भारत सरकार द्वारा माध्यमिक स्तर पर तीन नई परियोजनाएँ प्रारंभ की गई। यह परियोजनाएँ हैं:–

(1) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान

(2) बालिका छात्रावास योजना

(3) शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े ब्लाकों में 6000 मॉडल स्कूलों की स्थापना।

राजस्थान में इन परियोजनाओं की प्रभावी तथा समयबद्ध ढंग से क्रियान्विती सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राजस्थान सरकार द्वारा सोसायटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत पंजीकृत 'राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्' सोसायटी का गठन किया गया। इस सोसायटी का पंजीकरण 03 सितम्बर, 2009 को करवाया गया था। परिषद् ने पंजीयन के तुरंत बाद कार्य प्रारंभ कर दिया। परिषद् के संचालन के लिए एक राज्य स्तरीय निष्पादक समिति की स्थापना की गई। राजस्थान माध्यमिक

शिक्षा परिषद् की निष्पादक समिति के अध्यक्ष प्रमुख शासन सचिव (स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा विभाग) हैं तथा परिषद् के राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त माध्यमिक शिक्षा बीकानेर, राजस्थान निष्पादक समिति के सचिव हैं। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् को आवश्यकतानुसार मार्गदर्शन प्रदान करने हेतु माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय शाषी परिषद् का भी गठन किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। निष्पादक समिति की प्रत्येक तीन माह में तथा शाषी परिषद् की वर्ष में एक बार बैठक आयोजित किया जाना प्रस्तावित है। वर्ष 2009–10 के दौरान निष्पादक समिति की दो बैठकों का आयोजन किया गया।

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् में संचालित होने वाली परियोजनाओं की क्रियान्विति हेतु परिषद् में विभिन्न शाखाओं की स्थापना की कार्यवाही प्रारंभ की गई है। यह शाखायें निम्न प्रकार है:–

(i) **लेखा शाखा** :– इस शाखा में वरिष्ठ लेखाधिकारी के नेतृत्व में सहायक लेखाधिकारी, कनिष्ठ लेखाकार, लिपिक वर्ग के कर्मचारियों व कम्प्यूटर ऑपरेटर आदि की नियुक्ति किया जाना प्रस्तावित है।

(ii) **सिविल शाखा** :– यद्यपि इस शाखा में अधिशाषी अभियंता के नेतृत्व में सहायक अभियंताओं, कनिष्ठ अभियंताओं, कम्प्यूटर ऑपरेटर आदि की नियुक्ति किया जाना प्रस्तावित है, किन्तु वर्ष 2009–10 में राजस्थान में पहले से ही स्थापित सर्व शिक्षा अभियान की सिविल शाखा को राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् की सिविल शाखा का कार्यभार दिया गया है।

(iii) **बालिका छात्रावास शाखा** :– इस शाखा में एक सहायक निदेशक के नेतृत्व में कार्यक्रम अधिकारी व कम्प्यूटर ऑपरेटर नियुक्त किया जाना प्रस्तावित है।

(iv) **मॉडल स्कूल, क्वालिटी व इक्विटी शाखा** :– इस शाखा में एक सहायक निदेशक के नेतृत्व में कार्यक्रम अधिकारी व कम्प्यूटर ऑपरेटर नियुक्त किया जाना प्रस्तावित है।

(v) **एक्सेस, योजना, प्रशासन, संस्थापन व मॉनिटरिंग शाखा** :– इस शाखा में एक सहायक निदेशक के नेतृत्व में कार्यक्रम अधिकारी व कम्प्यूटर ऑपरेटर नियुक्त किया जाना प्रस्तावित है।

यद्यपि वर्ष 2009–10 में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् का एक पृथक् प्रशासनिक ढाँचा खड़ा करने का प्रयास किया गया है किन्तु इस वर्ष परिषद् के राज्य स्तरीय कार्यालय का कार्य निदेशक माध्यमिक शिक्षा एवं पदेन राज्य परियोजना निदेशक के अलावा 2 सहायक निदेशकों व 3 कर्मचारियों द्वारा संपादित किया गया। परिषद् की जिला स्तरीय गतिविधियों के क्रियान्वयन में राज्य के माध्यमिक शिक्षा विभाग के जिला स्तरीय अधिकारियों तथा सर्व शिक्षा अभियान की सिविल शाखा का सहयोग लिया गया है।

अध्याय–2

अध्याय –2

माध्यमिक शिक्षा प्रबंध सूचना तंत्र (SEMIS)

किसी भी योजना की सफलता काफी हद तक योजना निर्माण हेतु प्रयुक्त आँकड़ों की विश्वसनीयता पर निर्भर करती है। इसी तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए माध्यमिक शिक्षा से संबंधित योजनाओं में सही व सटीक आँकड़ों का उपयोग सुनिश्चित करने हेतु राज्य में माध्यमिक शिक्षा प्रबंध एवं सूचना तंत्र (Secondary Education Management Information System- SEMIS) विकसित किया जा रहा है। इस सूचना व प्रबंध तंत्र के अन्तर्गत विद्यालय स्तर से सूचनायें प्राप्त कर उनका जिला व राज्य स्तर पर विश्लेषण व उपयोग किया जाता है। विद्यालयों से सूचना एकत्र करने हेतु डेटा केप्चर फार्मेट (DCF) का उपयोग किया जाता है। विद्यालयों से प्राप्त डीसीएफ में दर्ज की गई सूचनाओं को जिला स्तरीय अधिकारियों की देखरेख में राष्ट्रीय शैक्षिक योजना प्रशासन विश्व विद्यालय (NUEPA) की वेबसाइट www.semisonline.net पर न्यूपा द्वारा उपलब्ध करवाये गये सॉफ्टवेयर में भरा जाता है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत अपनाये जाने वाले चरण निम्न प्रकार हैं:–

1. **प्रशिक्षण** – DCF की सही ढंग से भरने तथा ऑनलाइन फीडींग के दौरान आँकड़ों की वैधता बनाये रखने के लिए DCF कार्यक्रम से जुड़े सभी अधिकारियों को समुचित प्रशिक्षण देते हुए इस कार्यक्रम की प्रक्रिया से परिचित करवाया गया।
2. **DCF भरवाना** – न्यूपा द्वारा तैयार DCF को विद्यालयों द्वारा भरा जाता है। विद्यालय द्वारा भरे गये DCF की एक प्रति (School copy) स्वयं विद्यालय द्वारा भविष्य में संदर्भ के रूप में उपयोग करने हेतु विद्यालय में रखी जाती है तथा दूसरी प्रति (Computer copy) ऑन लाइन फीडींग हेतु जिला कार्यालय को दी जाती है। डीसीएफ में कुल 25 पृष्ठ और 51 प्रश्न हैं। डीसीएफ में सर्वप्रथम प्रश्न आधारित सामान्य निर्देश हैं। दूसरे भाग में दिए गये प्रश्न पाँच भागों में विभक्त हैं। इन भागों में निम्न सूचनायें मांगी गई हैं:–
    - **स्कूल/कॉलेज की सामान्य सूचना** – यह भाग स्कूल एवं कॉलेज की सामान्य सूचना से संबंधित है। इसमें संस्थान की स्थापना, इतिहास, वित्तीय संसाधन के प्रकार, कक्षाओं

के प्रकार एवं वर्ग, क्षेत्रफल, स्कूल में दी जाने वाली शिक्षा का माध्यम तथा स्कूल एवं कॉलेज के डाक के पतों एवं संचार व्यवस्था आदि से संबंधित प्रश्न शामिल हैं।

- **नामांकन एवं पुनः प्रवेश** – इस भाग में सात प्रश्न हैं। इन प्रश्नों में कक्षा VIII से XII तक अध्ययनरत छात्रों से संबंधित प्रश्न हैं। यथा विद्यार्थी का संकाय, उम्र, लिंग, आदि से संबंधित प्रश्न है। इस सूचना हेतु दो प्रमुख तिथियाँ (प्रथम 30 सितम्बर 2008 एवं दूसरी 30 सितम्बर 2009) संदर्भ तिथी के रूप में प्रयुक्त की गई।
- **अध्यापक प्रावधान** –यह भाग दो प्रमुख प्रश्नों पर आधारित है। पहला अध्यापकों की संख्या तथा दूसरा स्थायी अथवा अस्थायी एवं संविदा आधारित विषय अध्यापक एवं उनकी शैक्षिक योग्यताओं के संबंध में है।
- **अध्ययन अध्यापन सुविधायें** – इस भाग में कुल 30 प्रश्न हैं। इस भाग में विद्यालय में विद्यमान भौतिक ढ़ांचे एवं अध्ययन – अध्यापन सुविधाओं से संबंधित सूचनायें एकत्र की जाती हैं। यह भाग स्कूल के लगभग सभी पक्षों से संबंधित है। जैसे–स्कूल में निर्मित क्षेत्र, भवन की स्थिति, कक्षा कक्षों की संख्या एवं उनकी स्थिति, अन्य कक्षों की संख्या एवं उनकी स्थिति के बारे में। अन्य प्रश्न विद्यालय के भवन के अतिरिक्त विद्यालय में उपलब्ध अन्य भौतिक ढ़ांचागत सुविधाओं से संबंधित हैं; जैसे ऑडीटोरियम, प्रधानाध्यापक कक्ष, छात्र एवं छात्राओं के लिए कॉमन रूम, स्टॉफ कक्ष, महिला अध्यापिकाओं के लिए कॉमन रूम, पुस्तकालय कक्ष, स्टोर कक्ष, काउन्सलिंग कक्ष, चौकीदार कक्ष, रसोई शेड, गार्डन एवं स्टॉफ क्वाटर्स, चार दीवारी, खेल का मैदान, हॉस्टल, विद्युत व्यवस्था, ब्लेक बोर्ड, फर्नीचर, किताबें, प्रयोगशाला आदि की उपलब्धता एवं वास्तविक स्थिति/विद्युत उपकरण एवं ऑफिस मशीन आदि से संबंधित जानकारी भी इसी भाग में एकत्र की जाती है।

- **परिक्षा परिणाम** – DCF का यह भाग बोर्ड परीक्षा परिणामों के संदर्भ में है। इस भाग में विद्यालय के दसवीं एवं बारहवीं कक्षा के परीक्षा परिणामों के विश्लेषण हेतु आवश्यक सूचना से संबंधित प्रश्न हैं।

3. **डीसीएफ का संग्रहण** – सेमिस के लिए DCF राज्य के उन समस्त सरकारी एवं निजी स्कूलों में जहां कक्षा IX एवं X चल रही है को भेजे गये। विद्यालयों में DCF भेजने से पूर्व सितम्बर – अक्टूबर 2009 में संबंधित अधिकारियों को आवश्यक प्रशिक्षण दिया गया। सर्व प्रथम राज्य स्तर पर अधिकारियों का प्रशिक्षण दिया गया। इसके पश्चात् राज्य स्तर पर प्रशिक्षित अधिकारियों ने फील्ड अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया। प्रशिक्षण कार्यक्रम जिला एवं राज्य दोनों स्तर पर आयोजित किये गये। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में डीसीएफ को भरने के लिए आवश्यक निर्देश भी प्रदान किए गए। इन निर्देशों के आधार पर विद्यालयों द्वारा भरे गए एवं संस्थाप्रधान द्वारा प्रमाणित डीसीएफ को जिला अधिकारियों के द्वारा एकत्र किया गया।

4. **डीसीएफ जांच करना** – जिला स्तर पर एकत्रित फार्मों की जाँच करने हेतु जिला स्तर पर एक टीम गठित की गई इस टीम द्वारा सभी DCF की जांच की गई। यदि किसी स्कूल या संस्थान के डीसीएफ फोर्मेट में कमी पाई गई तो पुनः उसी स्कूल व संस्थान को डीसीएफ फार्म लौटा कर सही प्रविष्टि करने हेतु निर्देशित किया गया। टीम ने यह भी सुनिश्चित किया कि सभी सरकारी एवं निजी स्कूल समय पर डीसीएफ फार्म भरकर लौटावें। राज्य स्तर के अधिकारी भी यह सुनिश्चत करते हैं कि कोई भी स्कूल छूट न जावे।

5. **डीसीएफ की फीडिंग करना व डेटा का शुद्धिकरण करवाना** – समस्त जांच किये हुए डीसीएफ फार्म ऑन लाईन सॉफ्टवेयर में फीड किये जाते हैं। यह कार्य NUEPA, नई दिल्ली के मार्ग दर्शन में किया जाता है। सभी जिला स्तरीय अधिकारियों को सावधानीपूर्वक डीसीएफ फीडिंग के आदेश दिये जाते हैं। जिला स्तर पर विशेषज्ञ एजेन्सी के द्वारा ऑन लाईन फीडिंग की जाती है। प्रथम चरण के डाटा फीडिंग के पश्चात् जिला स्तर पर विभिन्न प्रकार की सारणियां बनाई जाती है। इन सारणियों के आधार पर जिला स्तर पर की गई फीडिंग को राज्य स्तर के अधिकारियों द्वारा जांच की जाती है। इस प्रक्रिया के लिये चार दिवसीय कार्यशाला आयोजित

की गई। इस कार्यशाला में जिलों के अधिकारियों एवं कम्प्यूटर ऑपरेटर को प्रशिक्षण देते हुए उनके द्वारा फीड की गई गलत सूचनाओं को ढूँढने का तरीका सिखाते हुए डेटा को सही करवाया गया। जिला स्तर के अधिकारी एवं कम्प्यूटर ऑपरेटर द्वितीय चरण के ऑन लाईन डाटा फीडिंग का काम करते हैं। ऐसे विद्यालय जिन्होंने अशुद्ध डाटा फीड किया था उन्हें एक विशेष अवसर दिया जाता है जिससे वह डाटा शुद्ध कर सकें। पुनः इसी प्रकार की सारणियों से विशलेषण कर मूल तालिकाओं को विभिन्न जिलों के लिये तैयार किया गया है।

6. **प्रतिवेदन निर्माण करना** – ऑन लाईन डाटा फीडिंग के आधार पर तैयार की गई तालिकाओं को एक एजेन्सी को प्रतिवेदन बनाने के लिए दे दिया गया। एजेन्सी ने एक सॉफ्टवेयर तैयार कर जिला एवं राज्य स्तर की योजना निर्माण हेतु आवश्यक प्रतिवेदन व रिपोर्ट बनाकर परिषद् को दी।

अध्याय–3

अध्याय –3

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (RMSA)

15 अगस्त, 2007 की प्रधानमंत्री की SUCCESS योजना की घोषणा को क्रियान्वित करने हेतु 2008 में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान नाम से एक नई परियोजना को प्रारंभ किया गया। इस नई परियोजना अर्थात् राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के प्रमुख उद्देश्य निम्न प्रकार हैं:–

1. राष्ट्रीय स्तर पर माध्यमिक शिक्षा का सार्वजनीकरण करना।
2. प्रत्येक बस्ती के 5 किमी. की दूरी में माध्यमिक स्तर की विद्यालय तथा 7 से 10 किमी. की दूरी में उच्च माध्यमिक स्तर की विद्यालय की सुविधा उपलब्ध करवाना।
3. सन् 2017 तक माध्यमिक शिक्षा में नामांकन को 100 प्रतिशत के लक्ष्य तक पहुँचाना।
4. माध्यमिक स्तर पर 100 प्रतिशत ठहराव के लक्ष्य को सन् 2020 तक प्राप्त करना।
5. समाज के पिछड़े वर्गों (यथा अनुसूचित जाति, जनजाति अन्य पिछड़े वर्ग व शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े अल्पसंख्यक) बालिकाओं व विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों तक गुणवत्ता पूर्ण माध्यमिक शिक्षा की सुविधा उपलब्ध करवाना।

उक्त उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु राजस्थान राज्य में भी राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् के तहत् राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की क्रियान्विति प्रारंभ की गई है। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की समयबद्ध क्रियान्विति सुनिश्चित करने हेतु राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् वर्ष 2009–10 हेतु वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट प्रस्तावों का निर्माण कर भारत सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया गया। भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तहत कार्यरत प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड (PAB) द्वारा अपनी दिनांक 12 नवम्बर, 2009 को आयोजित प्रथम बैठक में राजस्थान राज्य के प्रस्तावों पर विस्तार से चर्चा राज्य की वर्ष 2009–10 की वार्षिक कार्य योजना एवं बजट को स्वीकृति प्रदान की गई। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा वर्ष 2009–10 की वार्षिक योजना में पेश किए

गए भारत सरकार के प्रोजेक्ट एप्रूवल बोर्ड द्वारा स्वीकृत किए प्रस्तावों तथा योजना की वास्तविक क्रियान्विती का विवरण निम्न प्रकार है:–

वर्ष 2009–10 : वार्षिक योजना प्रगति

(राशि रु. लाख में)

क्र. सं.	गतिविधि	परिषद् द्वारा पीएबी के समक्ष प्रस्तुत प्रस्ताव	पीएबी द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव	वास्तविकरूप में प्राप्त राशी			वास्तविक व्यय
				केन्द्राश	राज्यांश	कुल राशि	
1	अनावर्ती व्यय						
	(a) सिविल निर्माण कार्य	37212.85	Nil	-	-	-	-
	(b) मेजर रिपेयर कार्य	3160.00	Nil	-	-	-	-
2	आवर्ती व्यय						
	(a) विद्यालय वार्षिक अनुदान	5620.50	2526.00	1618.00	-	1818.00	1805.42
	(b) प्रयोगशाला उपकरणों की मरम्मत एवं रख रखाव	2810.25					
	(c) पुस्तकालय हेतु पत्र पत्रिकाओं, पुस्तकों आदि का क्रय	1124.10					
	(d) विद्युत व पानी सुविधा	1686.15					
	(e) शिक्षक प्रशिक्षण	323.38	150.00		-		
	(f) विद्यालय स्टाफ का वेतन	44974.22	Nil		-		
	(g) विशेष आवश्यकता वाले बालकों हेतु प्रयास	191.92	Nil		-		
	(h) लैंगिक जागरूकता कार्यक्रम	66.00	Nil		-		
	(i) पुस्तक प्रकाशन	1257.88	Nil		-		
	(j) माइनर रिपेयर कार्य	Nil	1578.75		200.00		
	(k) एमएमईआर	2175.00	63.82				
3	कुल योग	100602.25	4318.57	1618.00	200.00	1818.00	1805.42

इस सारणी में दर्शाये गये व्यय में जिलों को जारी राशि व राज्य परियोजना कार्यालय पर व्यय की गई राशि शामिल है। उक्त सारणी से स्पष्ट है कि राजस्थान में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अन्तर्गत वर्ष 2009–10 में केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा लगभग 21.5 करोड़ रूपये उपलब्ध करवाये गये हैं, जिनके द्वारा 6325 माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में बिजली–पानी, पुस्तकालय हेतु पुस्तकों व पत्र पत्रिकाओं का क्रय, खेलकूद सामग्री का क्रय, प्रयोगशालाओं हेतु उपकरणों का क्रय व भवनों की छोटी–मोटी टूटफूट की मरम्मत करवाना आदि कार्य सम्पन्न करवाये गये है। उक्त राशि का उपयोग माध्यमिक कक्षाओं को गणित, विज्ञान व अंग्रेजी पढ़ाने वाले वरिष्ठ अध्यापकों को अपने विषय के कठिन बिन्दुओं को पढ़ाने की नवीनतम विधियों को अपनाने का प्रशिक्षण देने में भी किया गया।

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् को वर्ष 2009–10 के दौरान प्री–प्रोजेक्ट एक्टिविटी मद में भी 426.67 लाख रु. की राशि प्राप्त की गई। इस राशि का उपयोग राज्य व जिला कार्यालयों की स्थापना में किया गया। वर्ष 2009–10 के दौरान कुल 158.67 लाख रु. की राशि प्री–प्रोजेक्ट गतिविधि मद में व्यय की गई।

वर्ष 2009–10 में प्री–प्रोजेक्ट गतिविधि मद की प्रगति का विवरण

(राशि रु. लाख में)

आय			व्यय
केन्द्रांश	राज्यांश	कुल	
320.00	106.67	426.67	158.67

अध्याय–4

अध्याय –4

शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े विकास खण्ड (EBB)

माध्यमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के द्वारा समाज के कमजोर एवं पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करने के अवसरों की समानता सुनिश्चित करते हुए गुणवत्तापूर्ण माध्यमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए संपूर्ण राष्ट्र में से शैक्षिक दृष्टि से पिछले विकास खण्ड अर्थात् ई.बी.बी. (EBB-Educationally Backward Block) का चयन करते हुए इन विकास खण्डों में माध्यमिक शिक्षा के प्रसार हेतु विशेष प्रयास करने के उद्देश्य से सभी राज्यों में से ऐसे विकास खण्डों का चयन किया गया है जिनमें :–

(i) कमजोर व वंचित वर्ग की जनसंख्या अधिक हो,

(ii) ग्रामीण महिला साक्षरता दर अत्यंत न्यून हो व

(iii) जेन्डर गेप बहुत अधिक हो।

उक्त आधार पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा वर्ष 2009 में राजस्थान राज्य के कुल 238 विकास खण्डों में से 186 विकास खण्डों को शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े ब्लॉक (ई.बी.बी.) माना गया है। जिलेवार इन ब्लॉक की सँख्या का विवरण निम्न प्रकार है:–

राजस्थान में जिले वार ई.बी.बी की संख्या

जिले का नाम	जिले में ई.बी.बी की सं.	कुल
भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ, नागौर	11 x 3	33
अलवर, पाली	10 x 2	20
उदयपुर, जोधपुर	9 x 2	18
भरतपुर	8 x 1	8
अजमेर, बांसवाडा, बारां, जयपुर, जालौर, राजसमन्द	7 x 6	42
बाड़मेर, टोंक	6 x 2	12
प्रतापगढ़, बीकानेर, डूंगरपुर, सवाई माधोपुर, सिरोही	5 x 5	25
बूंदी, दौसा, धौलपुर, झालावाड, करौली,	4 x 5	20

जिले का नाम	जिले में ई.बी.बी की सं.	कुल
जैसलमेर	3 x 1	3
श्रीगंगानगर	2 x 1	2
कोटा, चुरू, हनुमानगढ	1 x 3	3
सीकर, झुंझुनु	0 x 2	0
योग		**186**

इन विकास खण्डों में समाज के वंचित वर्गों के बालक–बालिकाओं तक गुणवत्तापूर्ण माध्यमिक शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध करवाने हेतु भारत सरकार के निर्देशन में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के साथ ही निम्न परियोजनाओं का भी विशेष रूप से संचालन किया जा रहा है:–

(i) बालिका छात्रावास योजना व

(ii) मॉडल स्कूलों की स्थापना।

अध्याय–5

अध्याय –5

बालिका छात्रावास योजना

राजस्थान में केन्द्र प्रवर्तित योजना अन्तर्गत बालिका छात्रावास योजना का प्रारंभ राज्य के 186 शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े ब्लॉक (EBB) में 2008 से किया गया। प्रारंभ में इस योजना का क्रियान्वयन राज्य के माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा किया जा रहा था। वर्ष 2009 में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् की स्थापना के पश्चात् इस योजना का क्रियान्वयन परिषद् द्वारा किया जा रहा है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य बालिकाओं को (विशेष रूप से समाज के कमजोर वर्गों की बालिकाओं को) गुणवत्ता पूर्ण माध्यमिक शिक्षा की सुविधा उपलब्ध करवाना है। इस योजना में राजस्थान के 33 जिलों में से 31 जिले शामिल हैं। सीकर व झुझुनूं दो जिले ऐसे हैं जिनमें किसी भी विकास खण्ड का ई.बी.बी. के रूप में चयन नहीं होने के कारण इन जिलों में यह योजना संचालित नहीं है। इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक ई.बी.बी. में माध्यमिक शिक्षा में अध्ययनरत बालिकाओं के निवास हेतु 100 बालिकाओं की आवास क्षमता वाले एक बालिका छात्रावास की स्थापना की जा रही है। बालिका छात्रावास के निर्माण हेतु कुल लागत का 90 प्रतिशत केन्द्र सरकार द्वारा एवं शेष 10 प्रतिशत राज्य सरकार के द्वारा वहन किया जा रहा है। प्रत्येक बालिका छात्रावास के लिए केन्द्र सरकार द्वारा भवन निर्माण हेतु 38.75 लाख, बर्तन, फर्नीचर हेतु 3.00 लाख रुपये एवं बिस्तर आदि हेतु 75 हजार रुपये निर्धारित किये गये हैं। प्रत्येक बालिका छात्रावास में 100 बालिकाओं के निवास, बालिकाओं के आवास के साथ ही इन बालिकाओं की देखभाल हेतु नियुक्त वार्डन के लिए भी आवास का प्रावधान है। इन बालिकाओं की देखभाल व भोजनादि की व्यवस्था करने के लिए एक वार्डन के अलावा एक चौकीदार, एक मुख्य रसोइया एवं दो सहायक रसोइयों का प्रावधान किया गया है। छात्रावास के आवर्ती व्यय की पूर्ति हेतु प्रति वर्ष 14.27 लाख रुपये की राशि का प्रावधान किया है। इस राशि का बालिकाओं के भोजन, बालिकाओं की स्वास्थ्य देखभाल, छात्रावास के कार्य करने वाले कार्मिकों के मानदेय, बिजली पानी, पत्र पत्रिकाओं, खेल सामग्री व अन्य आवश्यक आकस्मिक व्यय आदि पर व्यय करने हेतु उपयोग किया जाना है।

वर्ष 2009–10 के लिए केन्द्र सरकार द्वारा 516.00 लाख केन्द्रांश तथा राज्य सरकार द्वारा 57.33 लाख रुपये कुल 573.33 लाख रुपये की राशि स्वीकृत हुई है। इस राशि से 27 बालिका छात्रावासों का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। वर्ष 2009–10 के दौरान प्राप्त राशि में से 505.00 लाख रु. की राशि विभिन्न जिलों को जारी करते हुए इन छात्रावासों के निर्माण का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है।

अध्याय–6

अध्याय –6

मॉडल स्कूल योजना

माननीय प्रधानमंत्री महोदय के द्वारा 15 अगस्त, 2007 को की गई घोषणा को मूर्त रूप देने हेतु पूरे देश में लगभग 6000 मॉडल विद्यालयों की स्थापना किये जाने का कार्यक्रम वर्ष 2008 से प्रारंभ किया गया है। इन मॉडल विद्यालयों की स्थापना भी शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े ब्लॉक्स में की जानी है।

इस योजना के अन्तर्गत राजस्थान में भी 186 शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े ब्लॉक्स की पहचान की गई है। इन 186 पिछड़े ब्लॉक्स में केन्द्रीय विद्यालयों के पैटर्न पर आधुनिक सुविधाओं युक्त मॉडल विद्यालयों के स्थापना की जानी है। इन विद्यालयों की विशेषताऐं इस प्रकार हैं:–

1. इन विद्यालयों की स्थापना हेतु भूमि राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जानी है। जिला कलेक्टर महोदय द्वारा 5 एकड़ या इससे अधिक भूमि का आवंटन मॉडल स्कूल स्थापना हेतु करने के बाद मॉडल स्कूल की स्थापना के प्रस्ताव भारत सरकार को भिजवाये जाते हैं। केन्द्र सरकार की स्वीकृति के बाद संबंधित ब्लॉक में मॉडल स्कूल की स्थापना का कार्य प्रारंभ किया जाना है।
2. इन विद्यालयों के संचालन व प्रबंधन हेतु केन्द्रीय विद्यालयों के अनुसार ही अलग से समिति बनायी जानी है। तदनुरूप रामाशिप इन विद्यालयों के प्रबंधन व संचालन समिति का कार्य कर रही है।
3. यदि विद्यालयों में अंग्रेजी भाषा को शिक्षण माध्यम के रूप में चुना जाता है तो इन विद्यालयों में कक्षा 6 से 12 तक के विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जायेगा, किन्तु यदि अन्य किसी भाषा को शिक्षण माध्यम के रूप में चुनने पर कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जायेगा।
4. इन विद्यालयों में पर्याप्त भवन, ऑडिटोरियम, खेलकूद प्रागंण, उद्यान, कला व संगीत कक्ष, प्रयोगशाला व कम्प्यूटर कक्ष आदि की व्यवस्था किया जाना प्रस्तावित है।

5. इन विद्यालयों में आधुनिक विधियों से शिक्षण के अलावा विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास पर भी ध्यान देने हेतु शिक्षण के साथ ही खेलकूद गतिविधियों, सह शैक्षिक गतिविधियों, विद्यार्थियों की स्वास्थ्य जाँच, शैक्षिक भ्रमण आदि गतिविधियां किया जाना प्रस्तावित है।
6. केन्द्र सरकार द्वारा राज्य में 186 ब्लॉक शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े ब्लॉक के रूप में चिन्हित (सीकर व झुंझुनूं जिले का कोई ब्लॉक मॉडल स्कूल योजना में शामिल नहीं)। इन सभी ब्लॉक में एक–एक मॉडल विद्यालय की स्थापना राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् के तहत किया जाना प्रस्तावित है।
7. इन विद्यालयों की स्थापना केन्द्रीय विद्यालयों के अनुरूप की जानी है तथा इन विद्यालयों में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम लागू किया जाना प्रस्तावित है।
8. इन विद्यालयों में आधुनिक पद्धति एवं तकनीकी से शिक्षण कार्य की व्यवस्था की जानी है।
9. इन विद्यालयों की स्थापना हेतु ब्लॉक मुख्यालय की पांच कि.मी. परिधि में करने को प्राथमिकता दी जा रही है।
10. प्रत्येक विद्यालय के भवन की लागत रूपये 302.00 लाख प्रस्तावित है। इस राशि का भवन निर्माण कार्य, फर्नीचर, साज सज्जा, पेयजल व्यवस्था आदि हेतु उपयोग किया जाना है।
11. केन्द्र सरकार व राज्य सरकार 11वीं पंचवर्षीय योजना में 75 : 25 एवं 12वीं पंचवर्षीय योजना में 50 : 50 का अंशदान उपलब्ध करवायेगी ।

<u>मॉडल स्कूल योजना की प्रगति</u>

- वर्ष 2009–10 के दौरान मॉडल स्कूल योजना के अन्तर्गत परिषद् को किसी प्रकार की कोई राशि प्राप्त नहीं हुई।

ऑडिट रिपोर्ट

2009–10

Utilisation Certificate under RMSA for the year ended 31-03-2010

Name of State: Rajasthan

S.No	Grant From	Sanction letter no. & Date	RMSA	GH	MS	TOTAL
FOR PRE - PROJECT ACTIVITIES						
1	G.O.I.	F. 1-22/2009 Sch.1/ dt. 29-09-2009	32000000			32000000
2	G.O.R.	प.1(13)शिक्षा–1/2009 दिनांक 19.02.2010	10667000			10667000
		TOTAL(A)	**42667000**			**42667000**
GRANT -IN-AID						
	G.O.I.	F. 1-61/2009 Sch.1/ dt. 21-01-2010	101800000			101800000
	G.O.I.	F. 1-61/2009 Sch.1/ dt. 23-02-2010	60000000			60000000
	G.O.I.	F. 3-9/2009 Sch.1/ dt. 29-09-2009		51600000		51600000
	G.O.R.	प.1(13)शिक्षा–1/2009 दिनांक 25.03.2010	20000000			20000000
	G.O.R	प.1(13)शिक्षा–1/2009 दिनांक 19.02.2010		5733000		5733000
		TOTAL(B)	**181800000**	**57333000**		**239133000**
		GRANT TOTAL(A+B)	**224467000**	**57333000**		**281800000**

1. Certified that amount of **Rs.24,54,00,000/-** (Twenty Four Crore and Fifty Four Lacs only) of Grant in aid sanctioned during the year 09-10 in favor of Govt. of Rajasthan Vide Ministry of HRD, department of School Education and literacy letter nos.(as above) against each and **Rs. 3,64,00,000/-** (Rs-Three Crore Sixty Four Lacs only) received us as state share from the state Government vide letter nos. (as above) against each and
Rs. 2012/- (Rs. Two Thousand Twelve only) on account of interest earned and other receipts during the period 09-10 (in R.M.S.A.) and Rs-**NIL**-on account of unspent balances of Previous Year 2008-09. A some of **Rs 4,51,644/-** (Rs. Four lacs Fifty one thousand Six hundred Forty Four only) (In R.M.S.A.) has been utilized for the purpose for which it was sanctioned and that the balance of **Rs. 28,13,50,368/-** (Rs Twenty Eight Crore Thirteen Lacs Fifty Thousand Three Hundred Sixty Eight only) remains unutilized at the end of the year will be adjusted towards the grant in aid payable during the next year .

2. It is also certified that out of amount of **Rs 28,13,50,368/-** shown as unutilized, accounts for an amount of **Rs 24,64,67,677/-** are yet to be received/Adjusted from the implementing units/agencies as per detail enclosed, which has been allowed to be carried forwarded.

3. Certified that I have satisfied myself that the condition on which the grants in aid was sanctioned have been duly fulfilled and that I have exercised the following check to see that the money was actually utilized for the purpose for which it was sanctioned .

Kinds of checks of exercised

1. Audited Statement of Accounts (Copy Enclosed)
2. Utilisation certificate received from executing units
3. Progress report (copy Enclosed)

State Project Director
DATED :

DIRECTOR
Rajasthan Council of Secondary Education
Shiksha Sankul, JAIPUR

Auditor certificate

We have verified the above statement with the books and records produced before us for our verification and found the same has been drawn in accordance there with

Gopal Sarda & Company
Chartered Accountants
(PARTNER)

Rajasthan Council for Secondary Education

Rajasthan State Level Agency

Dr. Radhakrishnan Shiksha Sankul, Block-6, J.L.N. Marg,

Near O.T.S. Bridge, Jaipur, Rajasthan.

Consolidated Reciepts & Payment Account for the year ended on 31st March 2010

Name of S.I.S.- Rajasthan

Reciepts	Schedule	AMOUNT C.Y	AMOUNT P.Y	Payments	Schedule	AMOUNT C.Y	AMOUNT P.Y
Opening Balance		0.00	0.00	Amount paid to Districts		0.00	0.00
Cash In Hand		0.00	0.00				
Cash At Bank		0.00	0.00	Expenditure at District and S.M.D.C. Level			
Unadjusted Advances		0.00	0.00	Teacher Salary		0.00	0.00
Fund received from G.O.I.				Civil Works		0.00	0.00
R.M.S.A.	1						
for Pre Project Activities		32000000.00					
Grant		161800000.00	0.00	S.M.G.		0.00	0.00
G.H.	2	51600000.00	0.00	M.M.E.R.		0.00	0.00
M.S.		0.00	0.00	School Grant		0.00	0.00
Fund received from G.O.R				In-service Teacher Training		0.00	0.00
R.M.S.A.	1		0.00	G.H		0.00	0.00
for Pre Project Activities		10667000.00					
Grant		20000000.00					
G.H.	2	5733000.00	0.00	M.S.		0.00	0.00
M.S.		0.00	0.00	Others		0.00	0.00
Interest				State Level			
R.M.S.A		12.00	0.00	M.M.E.R.			0.00
G.H.		0.00	0.00	Advertisement Exp.		280643.00	0.00
M.S.		0.00	0.00	Postage Exp.		5000.00	0.00
Miscellaneous Receipts				Salary Exp.		165776.00	0.00
Tender Fee (R.M.S.A.)		500.00	0.00	Bank charges (RMSA)		225.00	0.00
Loan from B K Gupta ji		1000.00	0.00	Others		0.00	0.00
Loan from Lata ji		500.00	0.00	Miscellaneous Payment		0.00	0.00
Expenditure of Districts and S.M.D.C. level adjusted against advances		0.00	0.00	Closing Balance			
programme activities adjusted		0.00	0.00	Cash In Hand		0.00	0.00
Advances for state level programme activities adjusted		0.00	0.00	Cash at Bank	3	34882691.00	0.00
Funds refunded by the Districts and S.M.D.C. Level		0.00	0.00	UnadjustedAdvances	4	246457677.00	0.00
Total		261802012.00	0.00	Total		281802012.00	

FOR GOYAL DARDA & COMPANY
CHARTERED ACCOUNTANTS

TARUN DARDA

STATE PROJECT DIRECTOR

Rastria ouncil for Secondary Education

Rajasthan State Level Agency

Dr. Radhakrishnan Shiksha Sankul, Block-6, J.L.N. Marg,

Near O.T.S. Bridge, Jaipur, Rajasthan.

NAME OF SIS RAJASTHAN

Consolited Balance Sheet as on 31/3/2010

LIABILITIES	Schedule	AMOUNT C.Y	AMOUNT P.Y	ASSETS	Schedule	AMOUNT C.Y	AMOUNT P.Y
Capital Fund		0.00	0.00	**Fixed Assets**		0.00	0.00
Opening Balance		0.00	0.00	Civil Works			
Fund received from G.O.I.		0.00	0.00	**Ope Balance**			
R.M.S.A.	1	193800000.00	0.00	Add trans during year		0.00	0.00
G.O.I. (P.P.A.)	32000000.00						
G.O.I. (GRANT IN AID)	161800000.00						
G.H.		51600000.00	0.00	Teacher Salary		0.00	0.00
M.S.		0.00	0.00	TOTAL		0.00	0.00
			0.00	Computer		0.00	0.00
Fund received from G.O.R			0.00	Furniture		0.00	0.00
R.M.S.A.	2	30667000.00	0.00	Vechicle		0.00	0.00
G.O.R. (P.P.A.)	10667000.00						
G.O.R. (GRANT IN AID	20000000.00						
G.H. (19/03/2010)		5733000.00	0.00	Equipment		0.00	0.00
M.S.		0.00	0.00	Current Assets		0.00	0.00
				Excess of exp. Over income		451132.00	
Balance At Dist.		0.00	0.00	**Advance outstanding**		0.00	0.00
a)		0.00	0.00	Civil Works		0.00	0.00
b)		0.00	0.00	Others	4	246467677.00	
c)				**Closing bal at SPO**			
Excess of income over exp.		0.00		Cash in hand			
Advacne Repayabel		0.00		Cash at bank	3	34882691.00	0.00
Current liabities							
Loan from B K Gupta ji		1000.00					
Loan from Lata ji		500.00					
Total		281801500.00	0.00	Total		281801500.00	0.00

FOR

GOYAL DARDA & COMPANY

CHARTERED ACCOUNTANTS

TARUN DARDA

partner

JAIPUR

STATE PROJECT DIRECTOR

DIRECTOR

Rajasthan Council of Secondary Educ

Shiksha Sankul, JAIPUR

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्
डॉ. राधाकृष्णन शिक्षा संकुल, ब्लॉक–6, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर– 302017